//कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर सिवनी//

//विज्ञप्ति//

//वाहन चालक (संविदा) की भर्ती हेतु//

कमांक.427/स्थापना/जि.वि.से.प्रा./2026 सिवनी, दिनांक.15/04/2026

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी हेतु संविदा आधार पर वाहन चालक की नियुक्ति हेतु निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहें–

क्रं0	पद का नाम	पदों की संख्या	मानदेय			पात्रता	आवेदन पत्र करने की प्रारंभिक तिथि	आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि
			क्रं.	शहर की श्रेणी	मासिक मानदेय			
1	वाहन चालक	01	01	"ए" श्रेणी (10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले शहर)	रु 14000/– रुपये	**01.** मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से हाई स्कूल (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण **02.** L.M.V. ड्राईविंग लाईसेन्स धारक	15/04/2026	30/04/2026
			02	"बी" श्रेणी (2 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहर)	रु 13000/– रुपये			
			03	"सी" श्रेणी (2 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर)	रु 12000/– रुपये			

नोटः– किसी शासकीय/अधिकृत संस्थान द्वारा जारी मैकेनिक का प्रमाण पत्र धारक को प्राथमिकता दी जायेगी।

शर्तेः–

1) वाहन चालक की भर्ती निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन प्रकिया के माध्यन से की जायेगी जिसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं व्यवहारिक ड्राइविंग परीक्षा सम्मिलित होगी। यह प्रकिया अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित समिति के माध्यन से संपन्न की जावेगी ।
2) यह संविदा नियुक्ति हेतु अनुबंध प्रारंभ में 02 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन, अच्छे आचरण और निरंतरता की आवश्यकता के आधार पर तत्पश्चात एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा संविदा अवधि के पश्चात नियमित नियुक्ति या निरंतर सेवा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3) संविदा चालक की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने या अन्य प्रशासनिक स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी। संविदा वाहन चालक भी एक माह का पूर्व नोटिस देकर या एक माह के वेतन के बराबर राशि जमा किया जाकर त्यागपत्र दे सकेगा।
4) संविदा चालक के कार्यों की समीक्षा समय–समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा और संतोषजनक प्रदर्शन न किये जाने तथा अनुशासन के अनुरुप न पाये जाने पर अनुबंध की निरन्तरता या विस्तार किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।
5) संविदा चालक की नियुक्ति की संपूर्ण कार्यवाही प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया जावेगा।
6) संविदा चालक को एक कलेण्डर वर्ष में 13 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

संलग्नः– आवेदन पत्र

नोटः–

1. इच्छुक आवेदक निर्धारित मापदंड अनुसार सचिव, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के नाम से दिनांक 30/04/2026 को सायं 05:00 बजे तक डाक के माध्यम से अथवा स्वयं आवेदन कर सकते है। दिनांक 30/04/2026 को सायं 05:00 बजे के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।
2. इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र का प्रारुप एवं संबंधित पद की आवश्यक अर्हताएं व पद की विस्तृत जानकारी कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी की वेबसाईट https://seoni.dcourts.gov.in/ से भी प्राप्त/Download की जा सकती है।
3. साक्षात्कार हेतु पात्र पाये गये आवेदकों की सूची एवं साक्षात्कार दिनांक उक्त वेबसाईट पर Upload एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी।

15/04/2026

(रवि नायक)
न्यायाधीश/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सिवनी (म0प्र0)

// आवेदन पत्र //

//कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी, पद – वाहन चालक (संविदा)//

यहां अपना पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करें एवं उसे स्वप्रमाणित करें

01. आवेदक का नाम –

02. पिता का नाम –

03. माता का नाम –

04. जन्मतिथि –

05. दिनांक 30/04/2026 की स्थिति में आयु – वर्ष.....माह.....दिन.....

06. वर्ग(अनु.ज.जा./अनु.जा./अ.पि.व./सामान्य)–.....

07. लिंग (पुरुष/महिला/अन्य) –

08. वर्तमान निवास का पता –
.....
.....

09. स्थायी निवास का पता –
.....
.....

10. आधार नं. –

11. मोबाईल नं. (व्हाटसअप) –

12 ई–मेल आई.डी. –

13. न्यूनतम अर्हतायें (निम्न दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न की जावें)

मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से हाई स्कूल (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण वर्ष –
.....

L.M.V. ड्राईविंग लाईसेन्स नम्बर –
.....

नोट किसी शासकीय/अधिकृत संस्थान द्वारा जारी मैकेनिक के प्रमाण पत्र धारक को प्राथमिकता दी जायेगी। –

14. पूर्व दोषसिद्धि अथवा लंबित मामला है, यदि हॉ तो विस्तृत विवरण –
.....
.....

//घोषणा//

मैं..... पिता श्री

स्व–घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है।

स्थानः–
दिनांक–

आवेदक के हस्ताक्षर
मो0 नं0.....